प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 17/ 2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'आईएमटी के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने '**आईएमटी के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी**' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से अन्य बातों के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) से अनुरोध किया था कि –

(क) 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज, 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करें।

(ख) आईटीयू के नवीनतम एनएफएपी/ रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित नियामक/ तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य सिफारिशें प्रदान करें।

3. विस्तृत जांच के बाद भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को 01.09.2023 को जवाब भेजा। मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंडों अर्थात 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के संबंध में भादूविप्रा ने आरक्षित मूल्य पर दिनांक 11.04.2022 की सिफारिशें 'आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' के पैरा 6.42 (II) में दी गईं अनुशंसाएं दोहराई। नये संदर्भित स्पेक्ट्रम बैंड अर्थात 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज, और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज के संबंध में भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया कि प्राधिकरण अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करेगा।

4. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए आईएमटी के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से **2 मई 2024** तक लिखित टिप्पणियाँ और **16 मई 2024** तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं।

5. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा